

26/2

Roll No.

CP-1003/ MBAH-103

Business Laws

(व्यावसायिक सन्नियम)

Master of Business Administration/
Diploma in Management
(MBA-10/12/13/DIM-10/MBAH-11)

First Semester, Examination, 2017

Time : 3 Hours

Max. Marks : 80

Note : This paper is of **eighty (80)** marks containing **three (03)** Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What do you understand by 'contractual capacity of parties' ? Explain the rules regarding contracts with a minor.

‘पक्षकारों में अनुबन्ध करने की क्षमता’ से आप क्या समझते हैं ? अवयस्क के साथ किये गये अनुबन्धों के सम्बन्ध में नियम समझाइये।

2. ‘No one can transfer a better title than he himself has.’ Explain the statement and state the exception to it.

‘कोई भी व्यक्ति जो अधिकार उसके पास है उससे अच्छा अधिकार हस्तांतरण नहीं कर सकता।’ इसे समझाइये तथा इसके अपवाद बताइये।

3. Define Articles of association and give its contents.

पार्षद् अन्तर्नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी विषय-सामग्री को समझाइये।

4. Explain the rights available to a customer under Consumer Protection Act, 1986. Explain consumer's responsibility under this Act.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता को प्राप्त अधिकारों का वर्णन कीजिए। इस अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता के उत्तरदायित्वों को भी समझाइये।

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What do you understand by Contract ?

अनुबन्ध से आप क्या समझते हैं ?

2. Explain machinery for settlement of consumer disputes under Consumer Protection Act.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था को समझाइये।

3. Explain the objectives and scope of Information Technology Act.

सूचना तकनीकी अधिनियम के उद्देश्यों व क्षेत्र को समझाइये।

4. Differentiate between Private Company and Public Company.

निजी कम्पनी तथा सार्वजनिक कम्पनी में अन्तर कीजिए।

5. What is Memorandum of Association ? Explain.

पार्षद् सीमानियम क्या है ? समझाइये।

6. Mention the cases where a person ceases to be a member of the company.

उन दशाओं को समझाइये जब किसी व्यक्ति की कम्पनी की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

7. Define 'Bill of Exchange' and explain its essential characteristics.

‘विनिमय विपत्र’ की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताएँ बताइये।

8. Distention between Sale and Agreement to sell.

विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अन्तर कीजिए।

Section-C / खण्ड-ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Indicate whether the following are True *or* False.

इंगित कीजिए कि निम्नलिखित सत्य हैं या असत्य।

1. A void contract can be enforceable by law only at the option of one party.

एक व्यर्थ अनुबन्ध एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय होता है।

2. Agreement in restraint of trade is voidable.
व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थनीय होते हैं।
3. In case of breach of warranty the buyer has right to rescind the contract.
आश्वासन भंग की दशा में क्रेता को अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होता है।
4. A stipulation essential to the main purpose of the contract is known as condition.
एक बन्धन जो अनुबन्ध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है उसे शर्त कहते हैं।
5. Consumer Protection Act was passed in the year 1986.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में पारित हुआ।

Fill in the blanks :

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

6. National Commission can settle consumer's disputes above ₹
राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा ₹ से अधिक के मामलों का कर सकता है।
7. Maximum number of members in a private company can be
प्राइवेट कम्पनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है।

[6]

CP-1003/MBAH-103

8. A company may alter its name after passing a
एक कम्पनी अपने नाम का परिवर्तन पारित करके कर सकती है।
9. The machinery for settlement of consumer disputes is tier.
उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र स्तरीय है।
10. A company cannot issue shares at
एक कम्पनी पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है।

CP-1003/MBAH-103